

A

कार्यालय निदेशक सैकण्डरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़

आदेश क्रमांक 23/२०२ - 2001-वि० १ (३) दिनांक चण्डीगढ़, २९-६-२०

दप्तर सिंह पब्लिक स्कूल एजरर-न करबाज़ को केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड नई दिल्ली से १२वीं स्तर की सम्बधित लेने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त पर जारी किया जाता है कि विद्यालय समय-समय पर जारी की जाने वाली इस विभाग की हिदायतों का पालन करते रहेगा तथा हरियाणा विद्यालय शिक्षा एकट 1995 के जो नियम बनेगें व विद्यालय को मान्य होंगे।

विभागीय हिदायतों की पालना न करने पर यह अनापत्ति प्रमाण पत्र वापिस लिया जा सकता है।

आर.डी. श्योकंद  
निदेशक सैकण्डरी शिक्षा  
हरियाणा चण्डीगढ़

पृष्ठांकन क्रमांक सम दिनांक चण्डीगढ़ २९-६-२००१

इसकी यह प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायवाही हेतु प्रषित है:-

1. जिला शिक्षा अधिकारी करबाज़ को उनके पत्र क्रमांक ई-५/१००१/८० दिनांक ५-६-२००१ के सन्दर्भ में।
2. प्राचार्य / मुख्याध्यक्ष प्रधान सिंह पब्लिक स्कूल करबाज़
3. सचिव केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षा केन्द्र कम्युनिटी सेन्टर प्रीत बिहार, नई दिल्ली- 11002.

२५-६-२००१/२९/६  
अधीक्षक विद्यालय- १  
कृते निदेशक सैकण्डरी शिक्षा  
हरियाणा, चण्डीगढ़.